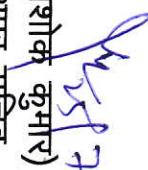


प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएं)	18	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर वनमण्डल अनूपपुर की 3.418 हेक्टेयर वनभूमि एवं वनमण्डल छिण्डौरी की 14.00 हे० वनभूमि इस प्रकार कुल 17.418 हेक्टेयर वनभूमि कपिलधारा बांध निर्माण हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद अमरकंटक, जिला अनूपपुर को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	---

दिनांक: 25.07.2023
स्थान: भोपाल


(अशोक कुमार)
अपर सचिव

म.प्र. शासन वन विभाग
(अशोक कुमार)
अपर सचिव

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)

म.प्र. शासन वन विभाग